श्री सुधांशु शेखर, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3703 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड के ग्राम मुरेठ में एनएच 527 बी के श्रृंखला माप 33 प्लस 900 पर मुरैठ लघु नहर के आरडी 4.70 पर कल्वर्ट निर्माण नहीं होने के कारण किसानो को सिंचाई में कठिनाई होती है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त स्थल पर कलवर्ट का निर्माण कराने का विचार रखती है; नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि काकरघाटी शाखा नहर के 6.80 कि०मी०-(बाँया) से मुरैठ लघु नहर निकलती है। मुरैठ लघु नहर के 1.4 कि०मी० (4.70 आर०डी०) पर NH-527B (Old NH-105) क्रॉस करती है। मुरैठ लघु नहर की कुल लम्बाई-2.5 कि0मी0 है जो पूर्णतः निर्मित है, परन्तु 1.4 कि०मी० पर कल्वर्ट निर्माण नहीं रहने के कारण मुरैठ लघु नहर में 1.4 कि०मी० तक ही जलश्राव प्रवाहित होता है। मुरैठ लघु नहर को 1.4 पर पार करने वाली NH-527 को NHAI द्वारा चैड़ीकरण किया जाना है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजर्माग प्रमंडल, जयनगर (मधुबनी) के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया है कि NH-527 B को Four Lane करने हेतु तैयार किये जा रहे DPR में वर्णित स्थल पर पुल के निर्माण को शामिल किया गया है। NHAI द्वारा पुल निर्माण हेतु यदि अनापित्त की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग इस पर नियमानुसार अनापत्ति उपलब्ध करायेगी। साथ हीं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को निदेशित किया गया है कि पथ निर्माण विभाग से समन्वय कर प्रश्नगत स्थल पर अस्थायी ह्यूम पाईप संरचना बनाने की तकनीकी संभाव्यता से संबंधित जाँच कर विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध करायें ताकि चार लेन सेतु बनाने तक सड़क को पारगमन कर अंतिम छोर तक नहर में जलश्राव उपलब्ध कराने का अस्थायी समाधान सुनिश्चित हो।

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(द0)–05–148 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 3703 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(द0)–05–148 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(द0)–05–148 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(द0)–05–148 / 2026– 1381 पटना, दिनांक– 23/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.03.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
20.3.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo